

संख्या : केभनि / 1-आईडीए / संशोधित-डीए / भर्ती / 2017

दिनांक 13.07.2018

कार्यालय आदेश

लोक उद्यम विभाग के दिनांक 04.07.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू- 02/0039/ 2017 - डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-xiv/18 एवं डब्ल्यू- 02/0002/2014-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल- xv/18 का संदर्भ लें जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आईडीए पैटर्न अपना रहे बोर्ड स्तर एवं बोर्ड स्तर से नीचे के समूह "क" एवं "ख" के कार्यकारी अधिकारियों एवं अयूनियनकृत पर्यवेक्षकों जिन्हें क्रमशः 01.1.2017 तथा 01.01.2007 से संशोधित वेतनमान देने की अनुमति दी गई थी, को दिनांक 01.07.2018 से आईडीए के भुगतान के अनुदेश दिए गए हैं ।

लोक उद्यम विभाग के दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 एवं 07.09.2017 के कार्यालय ज्ञापनों द्वारा शासित आईडीए पैटर्न के वेतनमानों पर इस कार्यालय के दिनांक 24.01.2018 के कार्यालय आदेश संख्या के.भ. नि./1-समूह क एवं ख वेतन संशोधन/भर्ती/01.01.2017/2438 द्वारा निगम के जिन पात्र अधिकारियों को 01.01.2017 से संशोधित वेतनमान का लाभ देने की अनुमति दी गई है, उन्हें लोक उद्यम विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञापनों में दी गई शर्तों के अनुसार आईडीए का भुगतान नियमित किया जाए। तदनुसार, नीचे दिए गए डीए की दरें लागू होंगी ।

जिस तिथि से देय है	आईडीए की प्रतिमाह देय दर	निवल वृद्धि
01.04.2018	3.5 प्रतिशत	
01.07.2018	3.8 प्रतिशत	0.3 प्रतिशत

आईडीए के समूह 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों को, जिन्हें दिनांक 3.11.2009 के पत्र संख्या केभनि/आईआरओ-डब्ल्यू कार्या./2009 द्वारा संशोधित वेतनमानों के लाभों की अनुमति प्रदान की गई है, और जो 1.1.2007 से प्रभावी है, को भी दिनांक 3.11.2009 के पत्र के पैरा-6 के संदर्भ में उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए संशोधित महंगाई भत्ते की दर के अनुसार आईडीए का भुगतान नियमित किया जाए । तदनुसार, नीचे दिए गए डीए की दरें लागू होंगी ।

जिस तिथि से देय है	आईडीए की प्रतिमाह देय दर	निवल वृद्धि
01.04.2018	127.2 प्रतिशत	
01.07.2018	128.0 प्रतिशत	0.8 प्रतिशत

(अरविन्द चौधरी)
13-7-18

(अरविन्द चौधरी)
समूह महाप्रबन्धक (कार्मिक)

वितरण :

- सभी विभागाध्यक्ष, केभनि, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

(अरविन्द चौधरी)
13/7/18

- 2 सहायक महाप्रबन्धक (एसएण्डबी), केमनि, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली ।
- 3 प्रबन्धक (स्था) / वरि सहा प्रबन्धक (प्रशा), आईआर सैल, केमनि, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली ।
- 4 महाप्रबन्धक (प्रणाली) केमनि, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय आदेश को केन्द्रीय भंडारण निगम की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें ।
- 5 सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक / अधीक्षण अभियता / कार्यपालक अभियता—इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय आदेश को अपने क्षेत्राधिकार में स्थित सभी वेअरहाउसों / यूनिटों एवं पंजीकृत यूनियन में परचालित करें ।
- 6 महासचिव सीडब्ल्यूसी कर्मचारी संघ दिल्ली ।
- 7 महासचिव अखिल भारतीय सीडब्ल्यूसी कर्मचारी संघ दिल्ली ।

प्रति :

- 1 प्रबन्ध निदेशक के प्रधान निजी सचिव / निदेशक (कार्मिक) की वरिष्ठ निजी सहायक / निदेशक (एमएपीपी) के निजी सचिव / निदेशक (वित्त एवं लेखा) के वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक / मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सहायक / समूह महाप्रबन्धक (लेखा) के प्रधान निजी सचिव केमनि निगमित कार्यालय, नई दिल्ली ।
- 2 गार्ड फाइल / मास्टर फाइल / परिपत्र फाइल ।

संजय शर्मा
13-7-18

संजय महाप्रबन्धक (कार्मिक)

DAKIDA 1



केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)



जन जन के लिए भण्डारण - WAREHOUSING FOR EVERY ONE

No. CWC/I-IDA/Revised DA/Rectt./2017

Dated:- 13th July, 2018

OFFICE ORDER

This has reference to the Department of Public Enterprises OM No. W-02/ 0039/2017-DPE (WC)-GL-XIV/18 & OM No. W-02/ 0002/2014-DPE(WC)-GL-XV/18 dated 04.07.2018 containing instructions for payment of IDA w.e.f. 01.07.2018 to the Board level and Below Board level Group A&B executives and non unionized supervisors of the Central Public Sector Undertakings following IDA pattern and allowed revised pay scales w.e.f.1.1.2017 and 1.1.2007 respectively.

The payment of IDA to the entitled Officers of the Corporation who have been allowed the benefit of revised pay scales vide this Office Order No.CWC/I-Group A&B Pay Revision/ Rectt./1.1.2017/2438 dated 24th January, 2018 w.e.f. 1.1.2017 on IDA pattern of pay scale governed by DPE's OM dated 3.8.2017, 4.8.2017 and 7.9.2017 may be regulated in accordance with the terms enumerated by the Department of Public Enterprises in the above said OMs. Accordingly, the rates of DA will be applicable as under:-

Date from which payable	Rate of IDA payable per month	Net increased
01.04.2018	3.5%	
01.07.2018	3.8%	0.3%

The payment of IDA to Group C&D employees who have been allowed the benefit of revised pay scales vide letter No.CWC/IRO-W. Implementation/ 2009 dated 3.11.2009 w.e.f. 1.1.2007 may also be regulated as per revised DA rate indicated in the aforesaid OM in terms of para.6 of the letter dated 3.11.2009. Accordingly, the rates of DA will be applicable as under:-

Date from which payable	Rate of IDA payable per month	Net increased
01.04.2018	127.2%	
01.07.2018	128.0%	0.8%

Arvind Chaudhri
13-7-18

(Arvind Chaudhri)
Group General Manager(Pers)


Distribution:

1. All Heads of Divisions, CWC, CO, New Delhi.

2. AGM(S&B), CWC,CO, New Delhi.
3. M(Estt)/ SAM(Admn), IR Cell,CWC,CO, New Delhi.
4. GM(System), CWC, CO,New Delhi with the request to arrange the uploading of this Office Order on our website.
5. All RMs/SEs/EEs – with the request that a copy of this office order may be circulated to all Warehouses/Units under their jurisdiction and Registered Unions.
6. Secretary General, Federation of CWCEUs, Delhi
7. General Secretary, Akhil Bhartiya CWC Karamchari Sangh, Delhi

Copy to:-

1. PPS to MD /Sr.PA to Dir(Pers.)/ PS to Dir(MCP)/SAM to Dir(F&A)/PA to CVO/PPS to GGM(A/Cs)CWC, CO, New Delhi
2. Guard file/Master file./Circular file.


13-7-18

Group General Manager(Pers)

C.O.: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016. Tel. 011-26566107

E-mail: warehouse@nic.in, Web: www.cewacor.nic.in

Email: pkasaw@cewacor.nic.in / Tel. No. 011-26515178 / 011-26536811/Fax : 011-269672